कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 154 /वाद सं0सी–0420/ 2022 दिनांक: 11/4/2023

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

विपक्षी श्रीज्योति रावत, बुल्लावाला डोईवाला, देहरादून द्वारा स्थल पर लगभग 50 वीघा क्षेत्रफल में भूमि का सवमतलीकरण भू–खण्डो का चिन्हीकरण कार्य किये जाने पर अनाधिकृत निर्माण निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ तथा कार्य रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं0सी–0420/2022योजित किया। उक्त चालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17–08–2022 को ध्वस्तिकरण आदेश पारित किये गये थे। दिनांक 23.01.2023 को सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता की स्थल निरीक्षण के अनुसार स्थल पर सी.सी. सडक का निर्माण व भूखण्डों का डिमार्केशन आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त चालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20/04/2023 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तिकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, डोईवाला देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में ध्वस्तिकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/(इलैक्ट्रीकल्स) /समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तिकरण कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एंव ध्वस्तिकरण से संबंधित जे.सी.बी. संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. श्री ज्योति रावत बुल्लावाला डोईवाला देहरादून, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि को ध्वस्त किया जाना है, विपक्षी स्थल पर स्वयं उपस्थित रहें व स्थल से अपना समस्त सामान हटा ले शेष नियम व शर्ते पूर्व प्रेषित पत्रांक–2482 दिनांक 17.08.2022 की यथावत रहेगी।

सचिव
ओ/ओ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।